



खिलाड़ी-प्रशिक्षक कल्याण समिति

तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल



विज्ञप्ति

खिलाड़ी-प्रशिक्षक कल्याण समिति, टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल अंतर्गत 'पे एंड प्ले' योजना में वाहन चालक 01, फोटोग्राफर 01, प्लम्बर 01, ग्राउण्डमैन-01, एवं भृत्य 01 की आवश्यकता है।

उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता दिनांक 09.10.2026 तक टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल स्थित कार्यालय में कार्यालयीन समय में अपने आवेदन पत्र अथवा बायोडाटा जमा कर सकते हैं। पदों की रिक्तियां, योग्यता/अर्हता तथा पारिश्रमिक की दर व शर्तें आदि की जानकारी म.प्र. खेल और युवा कल्याण विभाग की वेबसाइट www.dswwmp.gov.in पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/128282/2026

सचिव

खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण समिति
तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल

क्र.	पद का प्रारूप	रिक्त पद	मानदेय/पारिश्रमिक (श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित)	योग्यता एवं अर्हता
1	वाहन चालक	01	कुशल श्रेणी वर्तमान दर 15144 /—	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. भारी वाहन की अनुज्ञापति। 3. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से वाहन चालन के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। 4. प्रायोगिक प्रवीण्य। अनुभवी को प्राथमिकता।
2	फोटोग्राफर	01	कुशल श्रेणी वर्तमान दर 15144 /—	1. 12वीं उत्तीर्ण, होना चाहिए। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से वीडियोग्राफी में डिप्लोमा। 3. किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/प्रतिष्ठित संस्था से 2 वर्ष का वीडियोग्राफी का अनुभव। अनुभवी को प्राथमिकता।
3	प्लम्बर	01	अर्धकुशल श्रेणी वर्तमान दर 13421 /—	12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई डिप्लोमा। अनुभवी को प्राथमिकता।
4	ग्राउण्डमैन	01	अर्धकुशल श्रेणी वर्तमान दर 13421 /—	1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण 2. किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित खेल संघ/संस्था से 2 वर्ष का अनुभव। अनुभवी को प्राथमिकता।
5	भृत्य	01	अकुशल श्रेणी वर्तमान दर 12425 /—	8वीं उत्तीर्ण एवं कार्यानुभव

नोट:-

- उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी है, प्रारंभ में सेवाएं 1 वर्ष हेतु ली जाएंगी। आवश्यकतानुसार पदों की समयावधि में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। आवश्यकतानुसार 30 दिवस पूर्व नोटिस जारी कर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में विगत 5 वर्षों में, 2 वर्ष तक निरंतर कार्य किया हो।
- उपरोक्त आवेदित पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है।
- ग्राउंडमैन को नियमानुसार दोनों पालियों में सेवाएं देना अनिवार्य है।
- सभी पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा, तदोपरांत अंतिम निर्णय समिति का होगा।